

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

: विज्ञप्ति :

जयपुर, दिनांक 25 मई, 2023

राजस्थान विधान सभा सचिवालय में राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा की शर्तों) नियम, 1992 के अन्तर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र सं	पदनाम	पे-मेट्रिक्स लेवल	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता	रिक्त पद
1.	प्रतिवेदक (हिन्दी/आंग्ल भाषा)	L-12 (PB-2 9300-34800 ग्रेड पे- 4800/-)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण एवं आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 50 शब्द प्रति मिनट	08 (06 हिन्दी 02 आंग्ल)

रिक्त पदों का विवरण

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग							
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता				
08	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)													उत्कृष्ट खिलाड़ी
दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक								TOTAL	
B/LV	HI	LD/CP	M.I./M.D.	UR	EWS	MBC	OBC	SC	ST	TOTAL	0		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

आवेदन शुल्क:

श्रेणी अथवा वर्ग	राशि
सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के आवेदक हेतु	रुपये 600/-
आरक्षित वर्ग के आवेदक हेतु	रुपये 400/-
दिव्यांगजन आवेदक हेतु	रुपये 400/-

नोट:

- आयु:- दिनांक 01.01.2024 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/भूतपूर्व सैनिक आदि वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार छूट होगी। विधवा अथवा तलाकशुदा महिला के लिए आयु सीमा का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- आवेदन शुल्क ई-ग्रास (e-GRAS) के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन शुल्क अप्रतिदेय (Non-Refundable) है।

3. राजस्थान विधान सभा द्वारा जारी होने वाली समस्त भर्तियों हेतु आवेदन करने पर एकबारीय आवेदन शुल्क देय होगा।
4. आवेदन करने की अंतिम दिनांक 08.06.2023 है। आवेदन उक्त दिनांक को भारतीय समयानुसार रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाइन स्वीकार किये जाएंगे।
5. हिन्दी एवं आंग्ल दोनों भाषाओं के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पृथक-पृथक आवेदन करेंगे।
6. निर्धारित आवेदन पत्र, आवेदन पत्र भरे जाने हेतु निर्देश तथा अन्य आवश्यक जानकारियां विधान सभा सचिवालय की वेबसाइट <https://assembly.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व उक्त निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अपनी पात्रता की जांच स्वयं करने के उपरांत ही आवेदन करें।
7. परीक्षा के आयोजन संबंधी अन्य आवश्यक सूचनाएं यथा समय विधान सभा की वेबसाइट पर एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय उपलब्ध कराए गये मोबाइल नं. पर SMS द्वारा प्रसारित की जावेगी। कृपया इस संबंध में सजग रहे।
8. उक्त नियुक्ति प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार राजस्थान विधान सभा सचिवालय में निहित है।
9. रिक्तियों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।


महावीर प्रसाद शर्मा
प्रमुख सचिव

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

संख्या: एफ. 3(5)संस्था/विस/2023/7341 ~ 45

जयपुर, दिनांक 25 मई, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. उप सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. प्रमुख अनुसंधान एवं संदर्भ अधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर, वे कृपया उक्त विज्ञप्ति को इस सचिवालय की वेबसाइट <https://assembly.rajasthan.gov.in> पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. सूचना पट्ट, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. संबंधित पंजिका।


(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव (प्रशासन)

क. आवेदन पत्र भरने के संबंध में सामान्य निर्देश :

1. प्रतिवेदक के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन इस सचिवालय की वेबसाइट <https://assembly.rajasthan.gov.in> पर किया जा सकता है।
2. ऑनलाइन आवेदन करते समय स्कैन किया गया नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर जे.पी.जी. (.JPG) फॉर्मेट में (साइज 5 KB से 50 KB) अपलोड करें।
3. मूल आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टि को किसी भी परिस्थिति में बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अतः आवेदन पत्र भरते समय ही प्रविष्टियों की जांच कर लेनी चाहिए।
4. आवेदन शुल्क ई-ग्रास (e-GRAS) के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारण से परीक्षा निरस्त होती है तो आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।
5. अभ्यर्थी दिये गये दिशा-निर्देशों एवं अर्हताओं का अध्ययन कर अपनी पात्रता की जांच स्वयं करने के उपरांत ही आवेदन करें। नियुक्ति के समय आयु, शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग संबंधी मूल दस्तावेज तथा इनकी एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि प्रमाण पत्रों की जांच करने के दौरान अथवा बाद में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता की सभी शर्तें पूरी नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी और यदि उसके द्वारा किये गये दावे सही नहीं पाये जाते हैं तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
6. आवेदन करने की अंतिम दिनांक 08.06.2023 को आवेदक को आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता रखना आवश्यक है।

ख. आयु सीमा

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होगी।

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय है:-

- I. राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
- II. सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
- III. राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।
- IV. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे हैं की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जेंट अस्थाई नियुक्तियों के मामलों में लागू नहीं होगी।
- V. विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में अधिवाषिकी आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं होगी।
स्पष्टीकरण: उसे विधवा होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी से जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और तलाकशुदा होने के मामले में नियमानुकूल माननीय न्यायालय से जारी विवाह-विच्छेद की डिक्री प्रस्तुत करनी होगी।
- VI. रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- VII. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के उपनियम 6-। के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर बैचमार्क निःशक्तजन अभ्यर्थियों को उपरी आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी एवं यह छूट उनके वर्ग के अनुसार उपरी आयु में देय छूट के अतिरिक्त होगी।



नोट:-उपरोक्त पैरा के प्रावधान i से vi तक पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

ग. आयोजित की जाने वाली परीक्षा की योजना

प्रथम चरण : शीघ्रलिपि गति परीक्षा :

क्र.सं.	प्रश्न पत्र	विषय	अवधि
1.	I	शीघ्रलिपि (हिन्दी/अंग्रेजी) गति परीक्षा	10 मिनट
2.	II	श्रुतिलेख को लिपिबद्ध करना	2 घंटे 20 मिनट
कुल			2 घंटे 30 मिनट

- नोट : 1. 140 अथवा इससे कम अशुद्धि करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।
 2. प्रथम चरण में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए पात्र होंगे।
 3. अभ्यर्थी की वरीयता प्रथम चरण की परीक्षा के आधार पर निर्धारित की जाएगी किन्तु द्वितीय चरण की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

द्वितीय चरण : टंकण गति परीक्षा

क्र.सं.	प्रश्न पत्र	विषय	अवधि
1.	I	हिन्दी/अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा	10 मिनट

नोट : टंकण गति परीक्षा कम्प्यूटर पर (Unicode Mangal Font) पर ली जायेगी।

नोट:

1. प्रश्न पत्र के संबंध में परीक्षा समय में किसी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी तथा परीक्षा पूर्ण होने पर आपत्ति उचित पाए जाने पर उसका निराकरण राजस्थान विधान सभा सचिवालय स्तर पर किया जाएगा तथा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
2. कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आये। अभ्यर्थी अपने साथ उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंसिल, प्रवेश-पत्र या राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा अनुमत्य सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल या अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान विधान सभा सचिवालय की नहीं होगी।
3. जिस परिसर में भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन/इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सहित प्रतिबंधित सामग्री या वस्तुएं साथ लेकर न आएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

4. परीक्षार्थी को राजस्थान विधान सभा सचिवालय/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर (Invigilator) अथवा इस प्रयोजन के लिए राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिए गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने अथवा परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान विधान सभा सचिवालय/केन्द्राधीक्षक द्वारा कार्यवाही की जा सकती है तथा ऐसे परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

घ. आवेदन शुल्क:

श्रेणी अथवा वर्ग	राशि
सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के आवेदक हेतु	रुपये 600/-
आरक्षित वर्ग के आवेदक हेतु	रुपये 400/-
दिव्यांगजन आवेदक हेतु	रुपये 400/-

च. अन्य सामान्य निर्देश :

1. परीक्षा की दिनांक तथा परीक्षा केन्द्र संबंधी सूचना इस सचिवालय की वेबसाइट <https://assembly.rajasthan.gov.in> पर प्रकाशित कर दी जाएगी।
2. परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं वेबसाइट के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय उपलब्ध कराए गये मोबाइल नं. पर SMS द्वारा भी दी जायेगी, अतः अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
3. अनुमति पत्र इस सचिवालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे। वेबसाइट से ही अभ्यर्थी को अनुमति पत्र स्वयं डाउनलोड कर उसकी प्रिन्ट कॉपी परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ लानी होगी तथा एक मूल पहचान पत्र (जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो) एवं उसकी छायाप्रति भी साथ लानी होगी।
4. अभ्यर्थियों को परीक्षा में स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा तथा इस हेतु यात्रा व्यय या अन्य कोई भत्ता राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा देय नहीं होगा।
5. अस्वीकार किए गए आवेदनों के संदर्भ में न तो कोई सूचना दी जाएगी और न ही किसी पत्राचार का कोई प्रत्युत्तर दिया जायेगा।
6. नियुक्ति के लिए राजनैतिक तथा/अथवा अन्य किसी भी प्रकार के प्रभाव का उपयोग करने और अनुचित तरीके अपनाने वाले अभ्यर्थी, अयोग्य माने जायेंगे।
7. उक्त नियुक्ति प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार राजस्थान विधान सभा सचिवालय में निहित है।
8. रिक्तियों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
9. समस्त पत्र व्यवहार प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर के पदनाम से संबोधित किया जाये।

ज. नियुक्ति की शर्तें :

1. उपरोक्त पद पर पात्र पाये जाने के पश्चात नियुक्त कार्मिक को राज्य सरकार के नियमानुसार 2 वर्ष तक प्रोबेशनर ट्रेनी (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में नियुक्त किया जायेगा एवं उक्त नियमों के अध्यक्षीन समेकित वेतन (fix pay) देय होगा।

2. ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनका विवाह दिनांक 22 मई, 2006 अथवा उसके पश्चात् सम्पन्न हुआ है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति तथा उपरोक्त दिनांक के पूर्व विवाहित तथा अविवाहित चयनित अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र कार्यभार संभालने से पूर्व प्रस्तुत करेंगे।
3. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा चयन के संबंध में सूचित किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा पुलिस सत्यापन तथा स्वास्थ्य जांच अपने स्तर पर कराकर प्रस्तुत करनी होगी।

झ. नियुक्ति के लिए अयोग्यता :

1. किसी भी ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
2. किसी भी ऐसी महिला अभ्यर्थी को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
3. किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 (सेंट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

4. राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे।
5. कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इस आशय का शपथ-पत्र नियुक्ति के समय चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान विधान सभा सचिवालय को प्रस्तुत करना होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जाएगा, जब तक कि दिनांक 01.06.2002 को विद्यमान उसके संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक संतान है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक संतान उत्पन्न हो वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।



महावीर प्रसाद शर्मा
प्रमुख सचिव